



झारखण्ड शिक्षा परियोजना (समग्र शिक्षा)

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

नया समाहरणालय भवन, तृतीय तल (3-R), पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

पिन- 833202, Email- jepwsm@gmail.com



पत्रांक :

दिनांक :

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत निजी विद्यालय के प्रवेश कक्षा में पड़ोस के अभिवंचित समूह (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, अनाथ बच्चे, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72000/- रुपया या उससे कम हो) और कमजोर वर्ग (ऐसे बच्चे जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72000/- रुपया या उससे कम हो) को उनके आवास से छः किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले संबंधित निजी विद्यालय के प्रवेश कक्षा (Entry Class) के RTE के तहत कुल नामांकन क्षमता के 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर सत्र 2025-26 में नामांकन के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

जिले में संचालित ऐसे सभी मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश कक्षा में आवेदन/नामांकन हेतु विद्यालयों की सूची निम्नवत् है:-

SL. NO.	BLOCK	NAME OF SCHOOL
1	SADAR	SURAJMAL JAIN DAV PUBLIC SCHOOL, CHAIBASA
2	SADAR	PADMAWATI SARASSWATI SHISHU MANDIR, CHAIBASA
3	SADAR	ST. VIVEKA ENGLISH MEDIUM, CHAIBASA
4	CHAKRADHARPUR	MADHUSUDAN MAHTO HS, ASANTALIA
5	CHAKRADHARPUR	MADHUSUDAN PUBLIC SCHOOL, ASANTALIA
6	CHAKRADHARPUR	KONCEPT PUBLIC SCHOOL CHAKRADHARPUR
7	CHAKRADHARPUR	DELHI PUBLIC SCHOOL CHAKRADHARPUR
8	JAGANNATHPUR	KERLA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
9	JAGANNATHPUR	IDEAL ENGLISH MEDIUM SCHOOL JAGANNATHPUR
10	NOAMUNDI	TATA DAV, NOAMUNDI

नामांकन हेतु उम्र सीमा की गणना 31 मार्च 2025 को आधार मानकर की जाएगी। साथ ही अन्य सभी वांछित अभिलेखों की वैधता का आधार भी दिनांक 31 मार्च 2025 ही होगा-

- ❖ ऑनलाईन आवेदन:- इच्छुक/अर्हताधारी आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन <http://jepwestsinghbhum.in> वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र में कर सकते हैं।
- ❖ वेबसाइट पर आवेदन करने की पुनः निर्धारित प्रारंभिक तिथि 25 मार्च 2025
- ❖ वेबसाइट पर आवेदन करने की पुनः निर्धारित अंतिम तिथि 20 मई 2025
- ❖ आवेदन हाथों हाथ/डाक /ई-मेल के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ❖ आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2025 के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

RTE के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदन एवं नामांकन हेतु शर्तें निम्नवत् है :-

1. अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा पड़ोस के अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को है। पड़ोस से तात्पर्य है विद्यालय के एक कि.मी. दूरी सीमा के अधीन वास करने वाले बच्चों। यदि इस दूरी सीमा में पर्याप्त बच्चें उपलब्ध नहीं होते हैं तो विद्यालय के विस्तारित सीमा अर्थात तीन कि.मी. की दूरी सीमा में वास करने वाले बच्चों का नामांकन

किया जायेगा। फिर भी यदि सीट खाली रह जाता है तो छः कि.मी. दूरी सीमा तक वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा। उक्त के आलोक में प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित निजी विद्यालय के निर्धारित कुल सीट के 25 प्रतिशत सीट पर नामांकन लिया जाएगा।

2. अभिवंचित समूह से तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्ततायुक्त एवं अनाथ बच्चों।
3. कमजोर वर्ग से तात्पर्य है कि ऐसे बच्चों, जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हो जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72,000/- रुपया से कम हो।
4. अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन में प्राथमिकता वैसे बच्चों को दी जायेगी, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72,000/- रुपया से कम हो।
5. विद्यालय के पास-पड़ोस की दूरी सीमा का निवासी होने के लिए बच्चा, पालक/अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज नामांकन हेतु मान्य होंगे :-
 - आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र
 - ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना)
 - राशन कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/बिजली बिल जिसमें पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।
6. अभिवंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं पारिवारिक आय के प्रमाण स्वरूप निम्नांकित दस्तावेज मान्य होंगे :-
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक का कोई भी सरकारी दस्तावेज, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने का उल्लेख हो।
 - 40 प्रतिशत विकलांगता वाले बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड/असैनिक शल्य चिकित्सक, सदर अस्पताल/चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र।
 - सम्बन्धित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र।
7. नर्सरी/एल.के.जी. में नामांकन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा क्रमशः 3 वर्ष 6 माह से अधिक 4 वर्ष 6 माह से कम तथा कक्षा एक में नामांकन हेतु उम्र सीमा 5 वर्ष 6 माह से अधिक एवं 7 वर्ष से कम होगी।

निम्नलिखित प्रमाण अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे :-

- ❖ **जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाण:-** जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिवत निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- ❖ **आवास प्रमाण-पत्र का प्रमाण:-** बच्चे का नाम वाले माता/पिता के नाम पर सम्बन्धित अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा जारी राशन कार्ड अथवा बच्चे का या उसके माता-पिता के निवास का प्रमाण-पत्र अथवा माता-पिता में से किसी एक का मतदान पहचान-पत्र अथवा बिजली बिल/टेलीफोन बिल/ बैंक पासबुक/ आधार कार्ड/जॉब कार्ड अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- ❖ **आय प्रमाण-पत्र का प्रमाण:-** अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आय प्रमाण-पत्र जिसमें बच्चों के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72000/- रुपया या उससे कम अंकित हो, को अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुए बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड (अगर उपलब्ध हो तो) उसे भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- ❖ **अभिवंचित वर्ग का प्रमाण:-** उपायुक्त/ अनुमण्डलाधिकारी/ अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण-पत्र यदि बच्चा निःशक्त हो। अनाथ बच्चे की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- ❖ बच्चों की आवेदन हेतु माता-पिता/अभिभावक के द्वारा दिये गये सभी दस्तावेज एवं बच्चे के संबंध में दिये गये सभी सूचना सही है इस आशय का प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र अभिभावक द्वारा दिया जाएगा।
- ❖ नामांकन के प्रक्रिया के दौरान एवं नामांकन के उपरांत बच्चे/ माता-पिता/ अभिभावक के संबंध में दिये गये कोई भी सूचना/ दस्तावेज यदि गलत पाये जाते हैं तो आवेदन/ नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी माता-पिता/अभिभावक की होगी।
- ❖ नामांकन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति को शिथिल करने/आंशिक एवं पूर्ण रूपेण संशोधित करने तथा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।

जिला शिक्षा अधीक्षक—सह—
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा, पश्चिमी सिंहभूम